न्यायालय भू० अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या 59 /2021 GCMS No 2021/
दायरा तिथि : 02.08.2021
फैसला तिथि : 14.12.2021
प्रार्थी ::–

भानाराम पुत्र मनारामजी जाति कुम्हार
निवासी बिसलपुर तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

–:: आदेश ::– दिनांक 14.12.2021

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा सह खातेदारी में धारित की जा रही पुश्तैनी भूमि ग्राम बिसलपुर के खसरा नंबर 845 रकबा 0.88 हैक्टर व खसरा नंबर 846 रकबा 0.93 हैक्टर कुल खसरा–02 कुल रकबा 1.81 हैक्टर किस्म बारानी दोयम व खसरा नंबर 752 रकबा 0.49 हैक्टर किस्म बारानी दोयम में बतौर सह खातेदार दर्ज अपने नाम **मानाराम पुत्र मनाराम को त्रुटिपुर्ण** बताते हुये अपना **सही वास्तविक नाम भानाराम पुत्र मनाराम** दुरस्ती के माध्यम से दर्ज किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में बतौर अभिलेखीय साक्ष्य वर्णित भूमि की जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 की प्रति, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई.डी., जन आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस की प्रतियॉ पेश की गई। इसके साथ ही वर्णित तथ्यो की पुष्टि में स्वयं का शपथ पत्र भी पेश किया गया। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट तलब की गई। प्रार्थना पत्र का जबाव मय पटवारी हल्का बिसलपुर की रिपोर्ट के साथ भूमिधारी तहसीलदार, बाली की ओर पेश किया। अपने जबाव में अप्रार्थी तहसीलदार, बाली द्वारा प्रार्थी के पिता के फौतेदगी नामान्तरकरण के समय त्रुटिपुर्ण नाम मानाराम पुत्र मनाराम दर्ज किया गया, जो वर्तमान अभिलेखों में बदस्तुत कायम है। प्रार्थी द्वारा धारित दस्तावेजो के अनुसार प्रार्थी का नाम भानाराम पुत्र मनाराम ही होना स्वीकार करते हुये राजस्व रेकर्ड में दर्ज त्रुटिपुर्ण नाम मानाराम पुत्र मनाराम के स्थान पर सही व वास्तविक नाम **भानाराम पुत्र मनाराम** हिस्सा अनुसार दुरस्त कना उचित बताया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व रिपोर्ट का अवलोकन किया। भूमिधारी के जवाब एवं पटवारी हल्का बिसलपुर की रिपोर्ट के अनुसार प्रथम दृष्ट्या प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का त्रुटिपुर्ण नाम फौतेदगी नामान्तरकरण के दौरान् त्रुटिपुर्ण दर्ज हुआ है, जो अब तक राजस्व रेकर्ड में त्रुटिपुर्ण दर्ज चला आ रहा है, जबकि प्रार्थी के पास धारित दस्तावेजो में **सही नाम भानाराम पुत्र मनाराम** दर्ज है। जिससे वादग्रस्त भूमि ग्राम बिसलपुर के खसरा नंबर 845 रकबा 0.88 हैक्टर व खसरा नंबर 846 रकबा 0.93 हैक्टर कुल खसरा–02 कुल रकबा 1.81 हैक्टर किस्म बारानी दोयम व खसरा नंबर 752 रकबा 0.49 हैक्टर किस्म बारानी दोयम में बतौर सह खातेदार दर्ज त्रुटिपुर्ण नाम मानाराम पुत्र मनाराम के बजाय **सही नाम भानाराम पुत्र मनाराम** जाति कुम्हार दुरस्त किया जाना विधि अनुसार न्याय संगत हैं।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रर्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है। ग्राम बिसलपुर के खसरा नंबर 845 रकबा 0.88 हैक्टर व खसरा नंबर 846 रकबा 0.93 हैक्टर कुल खसरा–02 कुल रकबा 1.81 हैक्टर किस्म बारानी दोयम व खसरा नंबर 752 रकबा 0.49 हैक्टर किस्म बारानी दोयम में बतौर सह खातेदार दर्ज प्रार्थी का नाम **मानाराम पुत्र मनाराम त्रुटिपुर्ण** होने से **दुरस्ती** के माध्यम से **सही व भानाराम पुत्र मनाराम जाति कुम्हार शुद्ध** किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेकर्ड में दर्ज शेष इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, बिसलपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस.
भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली

आदेश आज दिनांक **14.12.2021** को खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली

Scanned with CamScanner